

क्र० २०७३ | आठ बजे | २०१५
15-10-15

मं० १६४/२०१५/२५४।/आठ-१-१५-१४बैठक/१४

प्रेषक,

पनधारी यादव
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सहाय्यक
/१८०८०

सेवा में,

१. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।
२. उपाध्यक्ष,
समरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उ०प्र०।
३. अध्यक्ष,
समरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।
४. नियंत्रक प्राधिकारी,
समरत विनियमित क्षेत्र,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक : ०९ सितम्बर, २०१५

नेकड़बर

विषय : राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 एवं उ०प्र० रुफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट नीति-2014 के अनुपालन में सरकारी संरथानों/अद्वसरकारी संरथानों/सरकारी स्वैच्छिक संरथानों/सहायता प्राप्त संरथान/प्रतिष्ठान, 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कार्गिंशियल काम्पलेक्स तथा अन्य भवनों पर रुफ टाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2014 में सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किए जाने की रणनीति है तथा आवास सेक्टर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के हाउसिंग एवं कार्गिंशियल काम्पलेक्स, सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालयों और भवनों में आंशिक विद्युत लोड की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा प्लान्ट/संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित किए जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रख्यापित रुफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट नीति, 2014 में प्राविधानित है कि सरकारी संरथानों/अद्वसरकारी संरथानों/सरकारी स्वैच्छिक संरथानों के परिसर में भवनों की छतों पर रखयं के उपयोग हेतु गिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। यह रुफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट नेट इनर्जी मीटिंग/नेट इनर्जी बिलिंग कियाविशि पर आधारित होगा। सरकारी/सार्वजनिक संरथानों द्वारा आवश्यक रूप से अपने कार्यालय भवन के उपलब्ध कुर्सी क्षेत्रफल के चूनातम 25 प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग रुफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना के लिए किया जाएगा। यह भी प्राविधानित है कि प्रदेश सरकार द्वारा निजी संरथानों को परिणार में

भवनों को छत पर कैपाटिंग उपयोगार्थ, उपयुक्त क्षमता के लफटाप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लाट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2— इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति--2014, तथा उ0प्र0 लफटाप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लाट नीति--2014 के प्राविधानों के अनुपालन में भवनों की छतों पर लफटाप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लाट की स्थापना किए जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक् विचारोपणात् गवन निर्माण एवं विकास उपविधि में एक नया प्रस्तर—3.11.9 के रूप में निम्नानुसार समिलित किए जाने का निर्णय लिया गया :—

“सरकारी संस्थानों/आर्द्धसरकारी संस्थानों/सरकारी रवैचिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान, 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामशीयल काम्पलेक्स तथा अन्य भवनों में लफटाप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लाट की स्थापना गवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत लफटाप एसिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।”

3— मुझे यह भी कहने वाल निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-3 में उपरोक्तानुसार एक नया प्रस्तर—3.11.9 समिलित करते हुए प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अंगीकृत कर लागू करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

८
(पन्धारी यादव)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकारी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बेवसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल हेतु;

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।